



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेशः—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र. सं.	नाम व पदरथापन स्थान	विषय-व्याख्याता	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
1	नाथूराम मीणा – राजमार्गि, शिवसिंहपुरा (पिप.) सीकर	भूगोल	माह जनवरी 2021 से आगामी आदेशों तक	राजमार्गि, फोगां सरदारशहर चुरू व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद से

उपर्युक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावें।

—१—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक— शिविरा / माध्य / संस्था / सी—5 / वेतन व्यवस्था / 2020—21 / ८५ दिनांक— ०१ / 03 / 2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य / कार्मिक.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. निजी / रक्षित पत्रावली।

—२—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेशः—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय-व्याख्याता	अवधि	स्थान व पद जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
1	सुरेश कुमार कस्वां – राजमावि. दन्तुजला, सीकर	भूगोल	माह जनवरी 2021 से माह फरवरी 2021 तक	राजमावि. जेवली सीकर में व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद से

उपर्युक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावें।

—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/वेतन व्यवस्था/2020-21/82 दिनांक- 01/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/ कार्मिक.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली ।

—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेशः—

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापकों (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राजमावि / राबाउमावि)	अवधि	जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है
01	सन्तोष गढवाल, राजमावि, काछवा, सीकर व्याख्याता गृह विज्ञान	अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020	श्रीमती नानीबाई जयपुरिया राबाउमावि, मण्डावा, झुंझुनू (व्याख्याता गृह विज्ञान के रिक्त पद के विरुद्ध)
02	सन्तोष गढवाल, राजमावि, काछवा, सीकर व्याख्याता गृह विज्ञान	जनवरी 2021 से पद स्वीकृति तक	राबाउमावि, लक्ष्मणगढ़, सीकर (व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध)
03	रजनी शर्मा, शहीद नोपाराम राआउमावि, भूमा बड़ा, लक्ष्मणगढ़, सीकर व्याख्याता रसायन विज्ञान	जनवरी 2021 से फरवरी 2021	राजमावि, हमीरपुरा, सीकर (व्याख्याता कृषि विज्ञान के रिक्त पद के विरुद्ध)
04	अमरचन्द महला, राबाउमावि, हेतमसर, झुंझुनू व्याख्याता जीव विज्ञान	जनवरी 2021	राजमावि, चनाना, झुंझुनू (व्याख्याता वाणिज्य के रिक्त पद के विरुद्ध)
05	गोपाल प्रसाद, राजमावि, हल्दीना, उमेरण, अलवर व्याख्याता जीव विज्ञान	जनवरी 2021	राजमावि, हल्दीना, उमेरण, अलवर (व्याख्याता कृषि विज्ञान के रिक्त पद के विरुद्ध)

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जायें।

—१—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/मा/संरथा/सी-4/रजीगृ/वेतन-व्यवस्था/2019-20

दिनांक: ०१/०३/२१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक)।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य,।
5. सम्बन्धित कर्मिक.....।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कार्यालय हाजा, कम्प्युटर अनुभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

—२—
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर